संख्या- 04 /2017/15/आईडब्लूएमपी /85-परती-2017-30(परती)/2014

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
अष्टम तल, एल्डिको कापरेट टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग **लखनऊ, दिनांक 10 मार्च, 2017**

विषयः- समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.एम.पी.) परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.डब्लू0डी0सी0) के अन्तर्गत सामान्य मद मे वित्तीय वर्ष 2016-17 मे परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रू0 76.77 करोड (रूपये छिहत्तर करोड सत्तहत्तर लाख लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, वन भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्दशासकीयपत्र संख्या-के-11013/17/2016-आईडब्लूएमपी(यूपी) (एसन01/उत्तर प्रदेश/2016-17/(आईडब्लूएमपी) दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 के क्रम में आपके पत्र संख्या-08/एसएलडीसी/2016-17, दिनांक 06 जनवरी, 2017 तथा पत्र संख्या-50/ एसएलडीसी/2016-17, दिनांक 31 जनवरी, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्ष "2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-101-राष्टीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) (के.50/रा.50-के+रा.)-27-.सब्सिडी'' के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के उपरोक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत रू0 971248 (रूपये सत्तनावे करोड बारह लाख अडतालीस हजार मात्र)) की बजट व्यवस्था की गयी है। उक्त धनराशि मे से संस्थागत मद मे से रू0 11760 (एक करोड सत्तरह लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय रूवीकृति शासनादेश संख्या-9/2016/09/आईडब्लूएमपी/85-16-30(परती)2014 दिनांक 24 मई, 2016 को निर्गत की जा चुकी है। केन्द्राशं के रूप मे रू0 46.06 करोड (रूपये छियालीस करोड छ लाख मात्र) (60 प्रतिशत) एवं राज्यांश के रूप मे रू0 30.71 करोड (रूपये तीस करोड इक्कहत्तर लाख) (40 प्रतिशत) कुल रू0 76.77 करोड (रूपये छिहत्तर करोड सत्तहत्तर लाख लाख) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-.

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। योजना के समाप्त होने पर अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) विभाग योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर अपेक्षित कार्यवाही को स्पष्ट कर देंगे।

(3) उक्त धनराशि का उपयोग योजना की अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाईड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(4) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2 उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय.व्ययक के अनुदान सं0-12 के लेखाशीर्ष ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-101-राष्टीय बंजर भूमि विकास

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यक्रम -01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) (के.50/रा.50-के.+रा.)27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारी के अनुपालन मे निर्गत किये जा रहे है। उक्त कार्यालय ज्ञाप मे उल्लिखित निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या- 04 /2017/15/आईडब्ब्लूएमपी /85-परती-2017-30(परती)/2014टी.सी., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप महानिरीक्षक, वन भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 11वा ब्लाक छठा तल, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 के अर्दशासकीयपत्र संख्या-के-11013/17/2016-आईडब्लूएमपी(यूपी) (एसन01/उत्तर प्रदेश/2016-17/(आईडब्लूएमपी) दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय आडिट प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, एस0एल0एन0ए0, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
5- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-1/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन ।
6- अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, 23, सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
7- अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, 177-एच-2/193 पाण्डुनगर, कानपुर।
8- मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
9- प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेवल डाटा सेन्टर आईडब्लूएमपी, अष्टम तल, एल्डिको, कोर्पोरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र गौतम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर पद्रेश शासन
परती भूमि विकास विभाग

I [;k& 04 /2017/15/आईडब्ब्लूएमपी /85-परती-2017-30(परती)/2014
लख्नऊ दिनांक मार्च, 2017

"kf) i=

समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.एम.पी.) परिवर्तित नाम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.डब्लू0डी0सी0) के अन्तर्गत सामान्य मद मे वित्तीय वर्ष 2016-17 मे परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रू0 76.77 करोड (रूपये छिहततर करोड सत्तहत्तर लाख लाख) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्धी शासनादेश संख्या- 04 /2017/15/आईडब्ब्लूएमपी /85-परती-2017-30(परती)/2014, दिनांक 10 मार्च, 2017 के प्रस्तर-2 मे अनुदान संख्या-12 के स्थान पर अनुदान संख्या-83 टंकित हो गया है। अत प्रस्तर-2 मे उल्लिखित अनुदान संख्या-83 के स्थान पर अनुदान संख्या-12 पढा जाय।

2 उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 4 /2017/15/आईडब्ब्लूएमपी /85-परती-2017-30(परती)/2014टी.सी., तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप महानिरीक्षक, वन भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 11वा ब्लाक छठा तल, लोघी रोड, नई दिल्ली, 110003 के अर्दशासकीयपत्र संख्या-के-11013/17/2016-आईडब्लूएमपी(यूपी) (एसन01/उत्तर प्रदेश/2016-17/(आईडब्लूएमपी) दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 के सन्दर्भ में।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय आडिट प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, एस0एल0एन0ए0, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-1/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन ।

6- अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, 23, सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।

7- अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, 177-एच-2/193 पाण्डुनगर, कानपुर।

8- मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।

9- प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेवल डाटा सेन्टर आईडब्लूएमपी, अष्टम तल, एल्डिको, कोर्पोरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

10- संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र गौतम)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।